

क्लाइमेट माइग्रेशन

प्रलिस के लयल:

जलवायु परवलरतन, [जलवायु परवलरतन पर राष्ट्ररीय कर्य योजनल \(NAPCC\)](#), [राष्टररीय सतर पर नररधरतल योजदलन \(NDC\)](#), जलवायु परवलरतन पर राष्ट्ररीय अनुकूलन कोष (NAFCC), [जलवायु परवलरतन पर रलज्य कर्य योजनल \(SAPCC\)](#)

मेन्स के लयल:

क्ललइमेत माइग्रेशन ([जलवायु परवलसन](#)) कल मुददल और संभलवतल उडलड

[सुरत: डलउन टू अरथ](#)

करूकल में करूँ?

हलल ही में [जलवायु परवलसन](#) (जलवायु परवलरतनों के करण परवलस) की सडसूडल ने सभल कल धूडलन आकरषतल कडलल है, परंतु डरलर भी वरशुव मेंगंभीर डूसड आडदलओं के करण अडने सथलडी आवलसों को डुडने के लडल डलधूड वूडकूतडलडों की सुरकषल के लडल एक वूडलडक कलनूनी डलँडे कल अंभलव है ।

- डल गंभीर अंतर डदूते वसुथलडन के सडड में एक सुडेदूड जनसलंखूडकी को परूडलडत सुरकषल उडलडों के डनल डुड देतल है ।

जलवायु परवलसी कूँन है?

- ??????
- [इंटरनेशनल ऑरगनलइजेशन डॉर माइग्रेशन \(IOM\)](#) के अनुसलर, "जलवायु परवलसन" कल तलतूडरू कसलडी वूडकूतडलडल जनसडूह की गतवलधलडलडों से है, जो डुखूड रूड से जलवायु परवलरतन अथवल आकसूडकल डल करूडकल परूडलवरणीड परवलरतनों के करण अडने आवलस की डुडने के लडल डलधूड डते है ।
- डल गतवलधलडल असूथलडी डल सूथलडी डु सकती है एवं कसलडी देश के डीतर डल डलहर डी डु सकती है ।
- डल परडलडल डलस तथूड पर डरकलश डललती है क जलवायु परवलसी डुखूड रूड से डेसे वूडकूतडलडल डनलके डलस जलवायु परवलरतन के डरडलवों के करण अडनल सूथलई आवलस डुडने के अतरकलडत कोई अनुड वकलडूड नही है ।
- **जलवायु परवलसन के करण:**
- **आकसूडकल आडदलएँ एवं वसुथलडन:**
- **आंतरकल वसुथलडन:** डलनवीड डलडललों के सडनूवड के लडल [संयूकत राष्ट्र कररडललड \(OCHA\)](#) की रडूडरूत डलस तथूड पर डरकलश डललती है कल [डलदूड](#), [तूडडलन](#) और [डुकूड](#) डेसी आकसूडकल आडदलएँ अकसूडर उनके आंतरकल वसुथलडन कल करण डनती है ।
- डुग अडने देशों में सुरकषतल सूथलनों की ओर डललडन कर रहे है, परंतु [डुनडलडलडी डलँडे एवं आजीवकल](#) के नषूट डु डलने के करण उनकल सूथलडी आवलस कषेतरूँ में लूडतनल कठनल डु सकतल है ।
- **आडदलएँ और संवेदनशीलतल:** [संयूकत राष्ट्र शरणलरथी एडेंसी \(UNHCR\)](#), डलस तथूड पर दडलव डललती है कल आडदलएँ अकसूडर सुडेदूड जनसलंखूडकी को डरडलवतल करती है ।
- संसलधनों की कडल डल उकूड जोखडल वलले कषेतरूँ में रहने वलली डलस जनसलंखूडकी के वसुथलडतल डुने एवं संघरष करने की संभलवनलएँ अधकल है ।
- **धीडी गतलसे डरलरंभ डुने वलली आडदलएँ एवं परवलसन:**
 - **डरूडलवरणीड कषरण एवं आजीवकल:** [IOM](#) की रडूडरूत है कलसूखल, डरुसूथलीकरण तथल लवणीकरण डेसी धीडी गतलसे घूडतल डुने वलली आडदलएँ डूडल और जल संसलधनों को वनलषूड कर सकती है ।
- डलससे डुगों के लडल अडनी आजीवकल कलल डलनल दुषूकर डुतल है तथल उनूँ आजीवकल के डेहूतर अवसरूँ की तललश में डरवलसन करनल डडूतल है ।
- **सडुदर के सतर में वूदूधल एवं तूडीड सडुदलड:** [जलवायु परवलरतन पर अंतर सरकलरी डैनल \(IPCC\)](#) की रडूडरूत में सडुदर के डदूते सतर से तूडीड कषेतरूँ में नवलस कर रहे सडुदलडलडों को संकूड डुने की डेतलवनी डी गई है । डलससे डुगों डर और खेत जलडगूड डु डलएंगे, डलसलसे सूथलडी वसुथलडन डु सकतल है ।
- **जलवायु परवलसन की जूडलतलडलएँ:**
- **डलशरतल कररक:** [संयूकत राष्ट्र कल आरूथकल और सलडलजकल डलडललों कल वडलड \(UNDESA\)](#) सूवीकर करतल है कल जलवायु परवलरतन के करण

होने वाले प्रवासन के लिये कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है।

- **ग्रीवी**, राजनीतिक अस्थिरता एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव, आपदाएँ आने पर नागरिकों को प्रवासन के लिये विवश करती हैं।
- **डेटा अंतराल और नीतित्ति चुनौतियाँ**: विश्व बैंक जलवायु प्रवासन का स्पष्ट डेटा निर्धारित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
- इससे वसिथापति लोगों एवं सुभेद्य समुदायों को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी नीतियाँ विकसित करना कठिन हो जाता है।

जलवायु शरणार्थियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयास:

- **वर्ष 1951**: जनिवा अभिसमय शरणार्थियों की कानूनी परिभाषा देता है। इसमें जलवायु आपदाओं को शरण लेने के आधार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है
 - हालाँकि, वर्ष 2019 में शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कहना है कि जनिवा अभिसमय को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है।
- **वर्ष 1985**: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पहली बार सामान्यतः पर्यावरण शरणार्थियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो "पर्यावरणीय व्यवधान" के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से अपने पारंपरिक निवास स्थान को छोड़ने के लिये मजबूर होते हैं।
- **वर्ष 2011**: नॉर्वे में जलवायु परिवर्तन और वसिथापन पर आयोजित हुए नानसेन सम्मेलन में 10 सिद्धांत तैयार किये गए हैं।
- **वर्ष 2013**: यूरोपीय आयोग यूरोप में जलवायु-प्रेरित प्रवासन को कम महत्त्व देता है।
- **वर्ष 2015**: पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वसिथापन को रोकने, कम करने और संबोधित करने के दृष्टिकोण की सफारिश करने के लिये एक कार्यबल का आह्वान किया गया।
- **वर्ष 2018**: हालाँकि, जलवायु से प्रभावित शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल किया गया है, कति इसके लिये किसी भी सरकार ने कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं बनाई है।
- **वर्ष 2022**: प्रवास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रसित्रीय घोषणा से जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से प्रभावित लोगों को हॉर्न और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रों में सीमाओं के पार सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति मिलती है।
- **वर्ष 2023**: प्रशांत-द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों की सीमा-पार आवाजाही को अनुमति देने के लिये एक रूपरेखा पर सहमत हैं।

जलवायु प्रवासियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **संकटपूर्ण आजीविका**:
 - कौशल और संपत्तिका हानि: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने चेतावनी दी है कि वसिथापन के कारण जलवायु प्रवासियों को अक्सर अपने कौशल और संपत्तिका हानि होती है।
 - इससे लोगों के लिये अपरचित वातावरण में अपनी आजीविका और दूसरा रोजगार प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
 - अनौपचारिक कार्य और शोषण: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु प्रवासी अक्सर कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों वाले अनौपचारिक कार्य क्षेत्रों में चले जाते हैं।
 - अपनी अनशिचति स्थिति के कारण वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
- **एकीकरण और सामाजिक चुनौतियाँ**:
 - सेवाओं तक पहुँच का अभाव: विश्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु प्रवासी अक्सर अपने नए स्थानों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी आधारभूत सेवाओं तक पहुँचने के लिये संघर्ष करते हैं।
 - यह इनके सामाजिक बहिष्कार और हाशिये पर रखे जाने का कारण बन सकता है।
 - सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ: IOM जलवायु प्रवासियों को नई संस्कृतियों और भाषाओं को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों पर ज़ोर देता है।
 - यह नए समुदायों में एकीकृत होने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **कानूनी स्थिति और सुरक्षा**:
 - सीमिति कानूनी ढाँचा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा के लिये कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा नहीं है।
 - वे वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी का दर्जा पाने के लिये योग्य नहीं हैं।
 - राज्यवहिन होने का बढ़ता जोखिम: जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ का दावा है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वसिथापन राज्यवहिनता का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो देशीय सीमाओं को पार करते हैं।
 - वर्ष 2021 में विश्व बैंक ने अपनी ग्राउंडसवेल रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि वर्ष 2050 तक, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण विश्व भर में लगभग 216 मिलियन लोग आंतरिक रूप से वसिथापित हो जाएंगे।
- **मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव**:
 - अभिघात और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: WHO वसिथापन और क्षति के कारण जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रवासियों द्वारा अनुभव किये जाने वाले मनोवैज्ञानिक व्यथा एवं अभिघात (Trauma) पर प्रकाश डालता है।
 - आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुँच सीमिति होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य का संघर्ष और भी बढ़ जाता है।
 - स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नए स्थानों पर स्वास्थ्य जोखिमों, जैसे संक्रामक रोग अथवा खराब मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से बच्चों और वृद्धजनों के लिये चिंताजनक है।

क्लाइमेट माइग्रेशन के मुद्दे के समाधान से संबंधित नीतियों की सीमाएँ क्या हैं?

- **प्रवासन के लिये वैश्विक समझौता**: हालाँकि, यह समझौता मानव प्रवासन को जलवायु परिवर्तन के कारक के रूप में स्वीकार करता है कति इसमें

जलवायु शरणार्थियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर **पस्सर्वसम्मति स्थापित करने** में होने वाली **कठिनाई** को दर्शाता हो।

- **क्षेत्रीय संघर्षों और घोषणाएँ:** **कंपाला घोषणा** जैसे क्षेत्रीय समझौतों में सामान्यतः क्लाइमेट रेफ्यूजी की स्पष्ट मान्यता का अभाव होता है, जो अधिक व्यापक अधिकारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **क्लाइमेट रेफ्यूजी की पहचान:** जलवायु-प्रेरित वसि्थापन की जटिल प्रकृति को देखते हुए, प्रमुख चुनौतियों में से एक **जलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों अथवा समुदायों को शरणार्थियों के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना** शामिल है।
- **सामूहिक वसि्थापन:** जलवायु परिवर्तन मुख्य तौर पर समग्र समुदायों अथवा राष्ट्रों को प्रभावित करता है, जिसके लिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

क्लाइमेट माइग्रेशन की समस्या के समाधान के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- **बांग्लादेश** जैसे देश अपने नवासिियों को समुद्र के बढ़ते स्तर और तूफान से बचाने के लिये **तटीय तटबंधों एवं बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे** में निवेश कर रहे हैं।
- **फिजी** जैसे द्वीप राष्ट्र समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण, जीवन योग्य अनुकूल भूभाग को उँचा करने जैसे **नवीन उपाय** तलाश रहे हैं।
 - समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण **करिबिती** अपनी आबादी के नथिोजति स्थानांतरण के विकल्प तलाश रहे हैं।
 - इसमें नई बस्तियों में **भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक संरक्षण** और आजीविका के अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करना शामिल है।
- **भारत और वियतनाम** जैसे देशों में बाढ़, चक्रवात और अन्य खराब मौसम की घटनाओं से बचाव के लिये **त्वरित चेतावनी प्रणालियाँ** कार्यान्वित की गई हैं।
 - ये प्रणालियाँ समुदायों को संवेदनशील क्षेत्रों को खाली करने और हताहतों तथा वसि्थापन को कम करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- **प्रलंबित (लंबे समय तक जारी रहने वाला) वसि्थापन पर कंपाला घोषणा** अफ्रीकी देशों द्वारा संघर्ष की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से वसि्थापित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनाया गया एक क्षेत्रीय ढाँचा है।
- यह क्लाइमेट माइग्रेशन के संबंध में क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक मॉडल प्रदान करता है।
- **इथियोपिया जैसे देश कसिनो** को मौसम के बदलाव के अनुकूल ढलने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिये **सूखा प्रतिरोधी फसलों** तथा सचिाई प्रौद्योगिकियों में **निवेश कर रहे हैं**।
 - इससे भोजन की कमी के कारण होने वाले वसि्थापन का जोखिम कम हो जाता है।
- **अनुकूलन उपायों के अन्य उदाहरण:**
 - पैसिफिक आइलैंड क्लाइमेट मोबिलिटी फ्रेमवर्क: यह फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिये प्रशांत द्वीप देशों के बीच वधिसिम्मत आवगमन की सुविधा प्रदान करता है, जो क्षेत्रीय सहयोग और अनुकूलन के लिये एक मॉडल प्रदान करता है।
 - तुवालु-ऑस्ट्रेलिया संधि: यह संधि तुवालु और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई जिसका उद्देश्य जलवायु संबंधी खतरों का सामना करने वाले तुवालु के नवासिियों को नवासि प्रदान करना है जो क्लाइमेट माइग्रेशन चुनौतियों से निपटने के लिये द्विपक्षीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

भारत की जलवायु परिवर्तन शमन हेतु नई पहलें क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC)**
- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC)**
- **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund on Climate Change- NAFCC)**
- **State Action Plan on Climate Change (SAPCC)**
- **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (State Action Plan on Climate Change- SAPCC)**

आगे की राह

- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:**
 - **IPCC ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये **आक्रामक शमन रणनीतियों** के महत्त्व पर जोर देता है।
 - **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UN Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)** समुदायों को जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनने और वसि्थापन जोखिमों को कम करने में सहायता करने के लिये अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देता है।
- **आपदा की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण:**
 - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UN Office for Disaster Risk Reduction- UNDRR)** आकस्मिक आपदाओं के कारण होने वाले वसि्थापन को कम करने के हेतु आपदा तैयारी योजनाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जोखिम कम करने के उपायों के महत्त्व पर जोर देता है।
- **कानूनी ढाँचे और सुरक्षा तंत्र:**
 - **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UN Refugee Agency- UNHCR)** और IOM जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा के लिये कानूनी ढाँचा विकसित करने का समर्थन करते हैं।
 - इसमें **शरणार्थी शब्द की परिभाषा को और व्यापक बनाना** या जलवायु परिवर्तन के कारण वसि्थापित लोगों के लिये संरक्षण की एक नई श्रेणी बनाना शामिल हो सकता है।

■ **नयोजति पुनर्वास और पुनर्स्थापन:**

◦ [वशिव बैंक की ग्राउंडसवेल रपिर्ट](#) द्वारा यह माना गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ समुदाय स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं रह जायेंगे।

• इन चरम मामलों में नयोजति स्थानांतरण और पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक हो सकते हैं।

■ **सतत विकास एवं जलवायु-स्मार्ट कृषि में नविश:**

◦ [संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग](#) (UN Department of Economic and Social Affairs- UNDESA) सतत विकास और जलवायु-स्मार्ट कृषि में नविश के महत्त्व पर जोर देता है।

◦ इससे लोगों के लिये जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूलन के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और प्रवासन की आवश्यकता में कमी आ सकती है।

■ **श्रमिक प्रवासन योजनाएँ:**

◦ जलवायु-वस्थापति जनसंख्या के लिये अनुकूलन उपाय के रूप में देशों के मध्य श्रम प्रवास को प्रोत्साहित करने से आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिल सकती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में जलवायु प्रवासन की चुनौतियों और नीतित्गत प्रभावों पर चर्चा कीजिये। सरकार प्रवासन को प्रेरित करने वाली पर्यावरणीय चिन्ताओं को संबोधित करते हुए जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा एवं कल्याण कैसे सुनिश्चित कर सकती है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

मेन्स:

प्रश्न. बड़ी परियोजनाओं के नयोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण पारस्थितिक संघात है, जसि पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिये सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. बड़ी परियोजनाओं के नयोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्त्वपूर्ण पारस्थितिक संघात है, जसि पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिये सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016)